RTI/1106
16-07-22

बैठक का कार्यवाही विवरण

प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.3(22)/प्रसू/सूअअ/2006 जयपुर, दिनांक 06.01.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय वेबसाईट में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) में उल्लेखित 17 बिन्दुओं की सूचनाओं को वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने के लिये विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों/निदेशकों/इकाई प्रभारी (मुख्यालय) की बैठक दिनांक 14.06.2022 को 11.30 बजे गांधी भवन में आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुये –

1– कुलसचिव

2– नियंत्रक (वित्त)

3– निदेशक, क्षे0के0 कोटा

4– निदेशक, संकाय, योजना एवं विकास

5– निदेशक, केन्द्रीय पुस्तकालय

6– निदेशक, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

7– निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ

8– परीक्षा नियंत्रक

9– सहायक कुलसचिव, पाठ्ठाउवि0

10–सहायक कुलसचिव, भण्डार व कय

11–सहायक कुलसचिव, आरटीआई0 एवं विधि

12–सचिव, कुलपति सचिवालय

13–प्रभारी, ईएमपीसी0

14–अनुभाग अधिकारी, स्थापना

बैठक में लोक सूचना अधिकारी (कुलसचिव, वमखुविवि, कोटा) ने सभी 17 बिन्दुओं से संबंधित सूचना के कम में विस्तार से प्रकाश डाला एवं सूचना के बिन्दुओं से संबंधित विभागों को चिन्हित किया गया। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से

निर्णय लिया गया कि सभी विभाग अपने विभाग से संबंधित सूचना तैयार कर आरटीआई0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध करावें। आरटीआई0 प्रकोष्ठ द्वारा सूचना समेकित कर प्रस्तुत की जाएगी। तीन सदस्यीय समिति गठित कर समेकित सूचना के परीक्षण उपरान्त अपलोड करने की कार्यावाही की जायेगी।

वाछिंत 17 बिन्दुओं की सूचना निम्न विभागों से संबंधित है –

क्रम संख्या	बिन्दुओं के नाम	किस विभाग से सूचना प्राप्त की जानी है।	टिप्पणी
1	विभाग की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य	(1) क्षेत्रीय सेवाये प्रभाग (2) स्थापना विभाग	विवरणिका, Act, Hand Book से सूचना प्राप्त होगी।
2	विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	(1) स्थापना विभाग (2) लेखा एंव वित्त	
3	विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	(1) स्थापना विभाग (2) कुलसचिव कार्यालय	
4	विभाग के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मानदंड	स्थापना विभाग	
5	विभाग के द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारीयो द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	(1) स्थापना विभाग (2) लेखा एंव वित्त (3) अकादमिक विभाग (4) क्षेत्रीय सेवायें प्रभाग	
6	ऐसे दस्तावेजो के, जो विभाग के द्वारा धारित या विभाग के नियंत्रणाधीन है; प्रवर्गो का विवरण	(1) स्थापना विभाग (2) लेखा एंव वित्त (3) परीक्षा (4) स्टोर (5) सम्पदा (6)पा0सा0उ0वि0	
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यो से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यातवेदन के लिये विद्यमान है	कुलसचिव कार्यालय	

8	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूपमें या इस बारे में सलाह देने के प्रायोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगीं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुंच होगीं, विवरण	कुलसचिव कार्यालय	
9	विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	(1) स्थापना विभाग (2) ई0एम0पी0सी0	
10	विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अतंर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हों	स्थापना विभाग	
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण को आंबटित बजट	लेखा एंव वित्त	
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है	निल	
13	विभाग के द्वारा अनुदत्तर रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया	निल	
14	किसी इलेक्ट्रोनिक रूप मे सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	ई0एम0पी0सी0	
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो,कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	आरटीआई0 प्रकोष्ठ	

16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	आरटीआई प्रकोष्ठ	
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए	केन्द्रीय पुस्तकालय	

सहायक कुलसचिव
(आरटीआई0 एवं विधि)

कुलसचिव
एवं लोक सूचना अधिकारी